(153)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 181] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922

No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

सा. का. नि. 266(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का पंजाब अध्यादेश सं. 6) को, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

आशोधन

1. धारा 1 में, उप धारा (1) में, ''पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1999'' शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के पश्चात् ''चडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा-विस्तारित'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 2 में, ''पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948'' शब्दों तथा अंकों के पश्चात् ''चंडीगड़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा-विस्तारित'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं.यू-11015/1/2000-यूटीएल(199)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

G.S.R. 266 (E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1999 (Punjab Ordinance No. 6 of 1999), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATION

1. In section 1, in sub-section (1), after the words, brackets and figures "the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1999", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

2. In section 2, after the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words "as in force in the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

[F. No. U-11015/1/2000–UTL(199)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

अनुलग्नक

1999 का पंजाब अध्यादेश सं. 6

भारत के संविधान के खंड (1) के तहत पंजाब के राज्यपाल द्वारा 14-10-1999 को प्राख्यापित अध्यादेश एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1999

(1999 का पंजाब अध्यादेश सं. 6)

अध्यादेश

पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 में आगे और संशोधन करने के लिए।

पंजाब के राज्यपाल द्वारा भारतीय गणतंत्र के 50वें वर्ष में प्रख्यापित किया गया ....

यत: पंजाब राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:

अत: अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इस अध्यादेश का नाम पंजाब साधारण विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1999 होगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 1948 का पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 में संशोधन :

पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 में, धारा 5, उप धार (i) में, प्रथम परन्तुक में, "बारह पैसे" शब्दों के स्थान पर "बीस पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ANNEXURE

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1999

(Punjab Ordinance No. 6 of 1999)

AN ORDINANCE

further to amend the Punjab General Sales Tax Act. 1948

Promulgated by the Governor of Punjab, in the Fftieth year of the Republic of India..............................

Whereas the Legislative Assembly of the State of Punjab is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Punjab is pleased to promulgate the following Ordinance, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) This Ordinasnce may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1999.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 5 of Punjab Act 46 of 1948: In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, in Section 5, in sub-section (1), in the first proviso, for the words 'twelve paise', the words 'twenty paise' shall be substituted.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.